संख्या-29/2019/एस-318/38-2-2019-एस-318/2019

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 19 दिसम्बर, 2019**

विषयः- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के अधीनस्थ 50 क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान हेतु लेखाशीर्षक-2515-003-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय /जिला, ग्राम्य विकास संस्थान) की मानक मद 01-वेतन से उसी लेखाशीर्षक की मानक मद 49-चिकित्सा व्यय मद में धनराशि रू0 25.00 लाख के पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-205/1/प्रशि0/बजट आवंटन/(4)/2019-20, दि0 30-10-2019 एवं शासन के पुनर्विनियोग संख्या-आर0ई0-220-ई0-2-977/दस-2019, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) योजनान्तर्गत 01-वेतन मद" में हो रही बचतों में से लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) योजनान्तर्गत मानक मद 49-चिकित्सा व्यय" में भुगतान हेतु रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रख कर ही किया जायेगा। आवंटित धनराशि के किसी अंश का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

(2) बचत की मद में पुन: धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(3) पुनर्विनियोजित धनराशि का व्यय संबंधित मदों में ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में नियम संगत रूप से किया जायेगा तथा अनुपयोगिक धनराशि वित्तीय वर्षान्त में सुसंगत लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा की जायेगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता, स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) इस निमित्त होने वाला व्यय अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित मद तथा मानक मद के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-29/2019/एस-318(1)/38-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
4- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

वित्तीय वर्ष 2019-20..... प्रपत्र बी0एम0 9(भाग-1)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनयोग
1	2	3	4	5	6 (2-5)
2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम- 003-प्रशिक्षण -03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय /जिला ग्राम्य विकास संस्थान) 01-वेतन	4730.00	1314.91	70.00	25.00	4705.00
योग	4730.00	1314.91	70.00	25.00	4705.00

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनयोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम- 003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) 49-चिकित्सा व्यय	25.00	95.00	70.00	25.00	50.00
योग	25.00	95.00	70.00	25.00	50.00

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत पूर्ण धनराशि का उपयोग किया जाना सम्भव नहीं है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अधिक व्यय संस्थान के 49-चिकित्सा व्यय मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण से है।

3- प्रमाणित किया है कि उक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअलके प्रस्तर-150, 151, 155 में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-220-ई-2-977/दस-2019, दि0 09 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रमेश चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।

(केशव प्रसाद)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in